शीर्षकः कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर

निविदा फार्म

निविदा संदर्भ संख्या क्रमांकः–F-3(47)/SIHFW/Agency-hire cleanliness/19-20/2365 दिनांकः–15.06.2020

निविदा कार्य का नामः राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा

कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण

E-Tender

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु सेवा प्राप्त करने हेतु

बिड संदर्भ सं. F-3(47)/SIHFW/Agency-hire cleanliness/19-20/2365 दिनांकः 15.06.2020

ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	16.06.2020 सायं 4 बजे
निविदा फार्म शुल्क, ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूतिराशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. परिसर
ऑनलाइन निविदा आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक
ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	25.06.2020 दोपहर 3 बजे रा.स्वा. एवं प.क.सं. परिसर

निविदा मूल्य	:	अनुमानित लागत रू 36.00 लाख
निविदा फार्म शुल्क	:	रू 500/– (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
ई टेन्डर प्रोसेसिंग शुल्क	:	रू 500/–
बोली प्रतिभूति राशि	:	रू 72000/– (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रूपये 72000/– (बहत्तर हजार रू मात्र) एवं निविदा फार्म शुल्क रूपये 500 (पाच सौ रू मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैंक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 500 (पांच सौ रू मात्र) का डी.डी./बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। **(तीनो के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग–अलग हों)**

ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,

दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534 Email ID- sihfwraj@ymail.com

निविदा अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निविदा सूचना	4
2.	निविदादाताओं हेतु निर्देश	5—9
3.	निविदा फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A"	10
4.	निविदा फार्म संलग्नक "B"	11
5.	संविदा की शर्ते एवं नियम संलग्नक "C "	12—17
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D"	18
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	19
8.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक "F"	20
9.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक "G"	21—22
10.	Format of BoQ संलग्नक "H"	23

नोट :— सम्पूर्ण निविदा तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फॉन्ट DevLys 010 (क्मअस्ले 010) लिखित है।

NIB Code - IHF2021A0003
UBN NO - IHF2021SLOB00003

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Fax : 0141- 2706534 Email ID- sihfwraj@ymail.com

क्रमांकः– F-3(47)/SIHFW/Agency-hire cleanliness/19-20/2365 **दिनांकः**– 15.06.2020

–: निविदा सूचना :–

संस्थान के कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु पंजीकृत अनुभवी निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	कार्य	अनुमानित क्षेत्रफल	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि रू. में	निविदा फार्म राशि रू. में	ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि रू. में	ऑनलाइन निविदा आवेदन/ डाउनलोड करने की तिथि	ई–टेण्डर तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु	55000 वर्ग फुट	36 लाख रुपयें (2 वर्ष हेतु)	72000 (रू बहतर हजार मात्र)	500	500	16.06.2020 से 25.06.2020 दोपहर 01:00 बजे तक	25.06.2020 दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सस्थान परिसर

उपरोक्त सेवा कार्य आपूर्ति के लिए बोलीदाताओं से मुहरबंद ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई–टेण्डर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 25.06.2020 दोपहर 01:00 बजे तक है। निविदादाता फर्म को बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) एवं निविदा फार्म शुल्क का डी डी अथवा बैंकर्स चैक जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय एंव ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक MD RISL payble at Jaipur का संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 25.06.2020 को दोपहर 01.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा देंवें। बिना बोली प्रतिभूति राशि, निविदा फार्म राशि एवं ई–टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण निविदा को रद्द करने अथवा प्राप्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक

निविदाताओं हेतु निर्देश

1. निविदा अनुभवी/पंजीकृत एजेन्सी/ठेकेदारों से आंमत्रित की जाती है।

2. निविदा प्रपत्रों को वेब साईट http://www.eproc.rajasthan. gov.in एवं www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले आवेदक निविदा को इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करें।

3. निविदा डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगाः–

   (अ) निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 16.06.2020 समय सांय 4 बजे से 25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक होगी।

   (ब) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोंनिक फॉरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in दिनांक 16.06.2020 समय सांय 4 बजे से 25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक अपलोड कराये जा सकते है एवं प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेब साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 25.06.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।

   (स) निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में 25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।

   (द) निविदा प्रपत्र को दिनांक 16.06.2020 समय सांय 4 बजे से 25.06.2020 दोपहर 1 बजे तक निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय समय में अथवा वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता के लियें योग्यता सुचना तथा निविदाकर्ता का पात्रता, विभिन्न कार्यो की मात्रा का विवरण, नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।

4. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के नाम देय होगा। असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार. के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

5. निविदा खोलने के दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

6. बोली प्रतिभूति का समपहृत (forfeiture of bid security)

1. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत (forfeit) कर दी जायेगी :–

क. जब बोली लगाने वाला बोली खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraw) या उपान्तरित (modifies) करता है।

ख. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश (work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।

ग. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन करने में असफल रहता है।

घ. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश किये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा नहीं कराता है।

ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7. यदि सफल निविदाकर्ता अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है, अथवा करार की शर्तो को भंग करता है, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।

8. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के रूप में सम्बन्धित निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।

9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक रा. स्वा.प.क.सं के पास सुरक्षित है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

10. ई–टेण्डरिंग के लिये निविदाता हेतु निर्देशः–

(अ) निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (download) कर सकते है।

(ब) निविदा में भाग लेने वाले निविदाताओ को वेबसाइट "http//www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। **जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं हैं।**

(स) **निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।**

(द) इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(य) यदि निविदादाता को इलेक्ट्रोनिकली निविदा जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 05.06.2020 समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। अतः निविदादाता टेंडर प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचनाओं को संपूर्ण रूप से सही व त्रुटिरहित भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

(र) ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक 25.06.2020 समय दोपहर 3:00 बजे एवं स्थान (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान) पर खोली जायेंगी।

(ल) यदि किसी कारणवश निविदा खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाऐं खोली जाऐंगी। जो निविदा दाता तकनीकी बिड में क्वालीफाई करेंगे केवल उनको ही वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई–मेल से दी जावेगी। निविदा खोलने की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।

11. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा फार्म शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की फोटो प्रति के साथ अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिया, जैसा कि आगे इस निविदा फार्म में बताया गया है, वेब साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

12. निविदा दाता द्वारा निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट अलग–अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राफ्ट को एक से अधिक निविदा में अपलोड करना पाया गया तो निविदा दाता को इन सभी निविदाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

13. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटी रह जाने पर उसे निर्धारित समय सीमा में पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन कर दुरस्त किया जाना सम्भव है किन्तु निविदा जमा कराने की निर्धारित समय सीमा (दिनांक 05.06.2020 को दोपहर 1:00 बजे तक) के उपरान्त किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार संभव नहीं हो पायेगा एवं निर्धारित समय सीमा के उपरान्त निविदादाता द्वारा निविदा को पूर्ण करने के उद्देश्य से स्वयं के स्तर पर प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज अथवा त्रुटिसुधार की प्रार्थना को निविदा का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण निविदा को अमान्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

14. कार्य संपादन 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत रू 180000/–(रू एक लाख अस्सी हजार मात्र) होगी। सफल निविदादाता को कार्यादेश देते समय अथवा अनुबंध के समय बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाना संभव हो सकेगा।

15. वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय निविदा भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों। कार्यादेश देने के बाद सफल निविदादाता द्वारा कोई भी सत्यनिष्ठा संहिता भंग (Breach of Integrity) की जाती है, (RTPPR Rule 80(2)), तो किया गया करार समाप्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।

16. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता तथा ई–मेल आईडी अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक/ई–मेल द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर सम्पूर्ण समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।

17. यह निविदा क्वालिटी बेस्ड अर्थात गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी निविदा में अंकित मापदंडो पर किया जायेगा। वित्तीय निविदा केवल तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाता की खोली जावेगी।

18. वित्तीय निविदा हेतु समस्त दरें विभिन्न कर, शुल्क, व्यय BOQ फार्मेट के अनुसार सम्मिलित करते हुये होंगी

19. सफल निविदादाता (अनुबंधकर्ता) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत सफल निविदादाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि विभाग को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली सफल निविदादाता से ही की जावेगी।

20. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी ।
22. निविदादाता को प्रपत्र बिना काट –छांट के अपलोड करना चाहिये अन्यथा स्कैन किये गये व अपलोड किये जाने वाले निविदा प्रपत्र में प्रत्येक काट–छांट पर निविदादाता को अपने हस्ताक्षर करने चाहिये अन्यथा निविदा को अमान्य किया जा सकता है।

23. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त निविदा कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

24. सम्पूर्ण निविदा पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक व कार्यालय के लिए बाध्यकारी होंगे।

25. सफल निविदादाता से अनुबंध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी, आर.टी.पी.पी. नियम 2013 संख्या 29 झ में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त दर संविदा आपसी सहमति के आधार पर तीन महिने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

26. निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस निविदा की समस्त शर्तें/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तों व विवरण पत्रों को स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

27. संस्थान निदेशक किसी भी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।

28. निविदादाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित संलग्नानुसार दस्तावेजों की प्रति को मूल दस्तावेजों को दिखाकर प्रमाणित/सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा।

- कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- सोसायटी के मामले में सोसायटी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर अनिवार्य होगा ।
- श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन
- ई.पी.एफ. एवं ई.एस आई रजिस्ट्रेशन
- प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफट/बैंकर्स चैक

उक्त दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार्य नही होगी।

29. निविदादाता दर संविदा को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।

30. निविदादाता फर्म का कार्यानुभव न्यूनतम 3 वर्ष का होना अनिवार्य है।

31. निविदादाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी। आर.टी.पी.पी. एक्ट सेक्शन (11) (3) एवं 46 नियम 82 के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग किये जाने की स्थिति में रा.स्वा.एवं पं. क.स. जयपुर उक्त अधिनियम के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगा।

32. यदि निविदा के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा निविदा को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना निविदादाता का दायित्व होगा।

33. बोली प्रक्रिया में आर.टी.टी.पी एक्ट 2012 एवं आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

34. निविदिदाता द्वारा एम.एस.एम.ई. का प्रमाण पत्र, संस्थान को नियमानुसार प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी।

निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय

स्टाम्प

तकनीकी निविदा संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

(यह नोटराइज्ड़ होना चाहिए)

मैं/हम .... (निविदादाता का नाम) (कार्यालय का नाम)... निवासी (निविदादाता का पता) .... घोषणा करते है कि मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया है जो कि निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा निविदा में दिये गये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तो, नियमों का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने की घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरे राजस्थान के अन्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 72000/– बैकंर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	श्रम विभाग मे रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
3.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
4.	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
5.	ई.एस.आई रजिस्ट्रशन की प्रति अनिवार्य		
6.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
7.	वर्ष 2016–17 से 2018–2019 की आयकर विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
8.	वर्ष 2019–20 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
9.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म मय संलग्नक "A से G तक" अनिवार्य		
10.	किसी भी संस्थान में कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D") न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		
11.	टर्नओवर विवरण (संलग्नक "E") विगत तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नआवर 40.00 लाख प्रतिवर्ष (तीस लाख) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
12.	निविदादाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लेक लिस्ट तो नही है, इसका शपथ पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "F") अनिवार्य		
13.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.ई/अन्य समकक्ष)		
14.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति		

नोटः–

उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूँढ़ा जा सके।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

तकनीकी निविदा संलग्नक **"B"**

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर–302004
फोन न. 2706496, 2701938, फैक्स न. 2706534 Email ID- sihfwraj@ymail.com

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु

निविदा फार्म

1.	निविदादाता फर्म / संस्था का नाम	
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता	
3.	दूरभाषः अ) कार्यालय............................... ब) निवास..................................... मोबाईल... ई–मेल..	....
4.	फर्म के मालिक / साझेदारों नाम व पूरा पता	
5.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी (संलग्नक G)	
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	नाम– पता–
	(ब) किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं?	(यथा मालिक / मैनेजर / सचिव अधिकृत व्यक्ति)
	(स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया हैं?	हॉ / नही / लागू नहीं
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल / सूत्र की जानकारी दें?	मोबाईल नं. दूरभाष नं. पता–

8.	संलग्न बैंकर चैक / डी.डी. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) का विवरण (जमा करा दी गई है / नही कराई है)	निविदा फार्म शुल्क बोली प्रतिभूति राशि ई टेन्डर प्रक्रिया शुल्क	बैंकर चैक / डी.डी. सं.	दिनांकः ....

उपर्युक्त जानकारियां सही व तथ्यों पर आधारित है। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियॉ प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नही होगी। मैने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

संलग्नक "C"

निविदा की शर्ते एवं नियम

1. निविदादाता द्वारा कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था, जिसका अनुमानित क्षेत्रफल 55000 वर्ग फुट है, में सफाई सेवा उपलब्ध करवाये जानी है।
2. **सम्पादित किये जाने वाले कार्य व समयावधि**
    1. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में भवन के समस्त ब्लॉक जिसमें
        - हॉस्टल– पुराना हॉस्टल ब्लॉक (36 कमरें व संलग्न लैटबाथ बॉलकोनी, समस्त कोरीडोर, जिम व रिक्रीयेशंन रुम 2, अटेन्डेन्ट रुम 1,), नया हॉस्टल ब्लॉक (20 कमरें, 6 स्युट्स संलग्न लैटबाथ बॉलकोनी, समस्त कोरीडोर, रिसेप्शन ऐरिया, स्टोर व अटेन्डेन्ट रुम 1, 2 लैट बाथ कॉमन),
        - 2 गेस्ट हाउस (मय 4 स्यूट्स मय टॉयलेट लेटबाथ),
        - 109 नं. फैकल्टी ब्लॉक (6 कक्ष, 2 टॉयलेट, हॉल मय 4 वर्किगं स्टेशन), 103 नं. ब्लॉक (4 कक्ष, 1 टॉयलेट, हाल मय 2 वर्किंग स्टेशन), लॉबी 1, पुस्तकालय 1, बरामदे 4,
        - ऑडिटोरियम (122 नं),कान्फ्रेन्स हॉल 2(जीएफ व एफएफ) मय टॉयलेट, बोर्ड रुम (102 व 202 नं.), प्रशिक्षण हॉल (100, 120 नं.), कम्प्यूटर लैब 1,
        - चैयरमेन कक्ष मय रेस्ट रुम टॉयलेट (201), निदेशक कक्ष (101) मय रेस्ट रुम व टॉयलेट, पीए कक्ष, स्टॉफ चाय केन्टीन 1,
        - सीढ़ियां, छत, सड़क, फुटपाथ, कार एवं मोटरसाईकिल पार्किंग स्टेण्ड, बगीचे, बाहरी खाली पड़ा क्षेत्र समस्त सीवरेज व ड्रेनेज नालियां, शौचालय, दीवारें, दरवाजे, खिडकियां, टेबिल कुर्सी, कॉच, जालियां, पर्दे, पंखे, ट्यूबलाईट, अलमारियां, डस्टबीन, गार्ड रुम मय टॉयलेट, समस्त पानी की टंकिया (भूमिगत व छत के उपर) इत्यादि सम्मिलित है जिसका अनुमानित कारपेट एरिया लगभग 55000 (पचपन हजार) वर्ग फीट है।
        - संस्थान का सम्पूर्ण बाहरी व आन्तरिक परिसर सम्मिलित है।
    2. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त साफ–सफाई की गुणवत्ता 24x 7 बनाये रखनी होगी।
        - समस्त फ्लोर एरिया पर दिन में दो बार फिनाईल/आवश्यकतानुसार रासायनिक मिश्रण डालकर पोछा करना होगा, जिसमें कार्यालय परिसर, हॉस्टल परिसर, सीढ़ियों, स्वागत कक्ष, बरामदे, पोर्च इत्यादि सम्मिलित होंगे।
        - समस्त दरवाजे, कुर्सी, टेबिल, स्वीच आदि पर आवश्यकतानुसार रासायनिक मिश्रण प्रयोग करना होगा।
        - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कमरों, दरवाजों, खिडकियों, जालियों, शीशे के दरवाजे आदि की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक रुप से करना होगा।
        - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कचरा पात्रों की सफाई प्रतिदिन दो बार करनी होगी।
        - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त सड़कों, फुटपाथों, भवन के चारों ओर की रेलिंग के अन्दर, परिसर कार व स्कूटर स्टैण्ड, कैन्टीन की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
        - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की छत, पानी निकासी के पाईप, की सफाई माह में दो बार करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में रखे समस्त सोफे, परदे, लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लेब इत्यादि की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रों (वेक्यूम क्लीनिंग) से प्रतिदिन करवानी होगी।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त ट्यूबलाईट फिक्सचर, पंखों, मरकरी लाईट की सफाई सप्ताह में एक बार व विद्युत ट्रांसफार्मर कक्ष की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के राजकीय अवकाश के दिन बरामदों, सीढ़ियों कार व स्कूटर स्टैण्डों की सफाई व धुलाई का कार्य करना होगा।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में जाले हटाने का कार्य सप्ताह में एक बार तथा आवश्यक हो तो तुरन्त करना होगा।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में सफाई करने के बाद समस्त कूड़ा करकट व कचरे को भवन के बाहर नगर निगम द्वारा बताये गये उचित स्थान व तरीके से डलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्थान परिसर स्थित समस्त शौचालयों (जिनमें हॉस्टल व गेस्ट हाउस के कमरों में संलग्न शौचालय सम्मिलित नहीं है) की सफाई दिन में दो बार व आवश्यकतानुसार भी करनी होगी। हॉस्टल कमरों व गेस्ट हाउस के संलग्न शौचालयों की सफाई एक बार नियमित रुप से एवं आवश्यकतानुसार भी करनी होगी।

3. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में मच्छरों इत्यादि के लिए कीटनाशक दवाई, (फिनाईल) का प्रयोग सांय 6–7 बजे प्रतिदिन करना होगा तथा चूहों की रोकथाम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये सफाई कर्मियों का नाम, पता, फोटो कार्य प्रारम्भ करने के समय से ही संस्थान को आवश्यक रुप से उपलब्ध करवायेगा तथा कर्मियों के बदले जाने या नये लगाये जाने पर भी नाम, पता व फोटो उपलब्ध करवाई जाये तथा निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को निविदादाता द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कर्मियों को उक्त परिचय पत्र कार्य समय में प्रदर्शित करना होगा। साथ ही निविदादाता द्वारा संस्थान में लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाकर ही संस्थान में लगाया जायेगा।
5. निविदादाता को उसके द्वारा लगाए गये सफाईकर्मी का स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा सफाई कार्य के निरीक्षण एवं विभाग से कॉर्डिनेशन हेतु एक सुपरवाईजर नियुक्ति किया जायेगा, जो प्रतिदिन कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगा।
7. निविदादाता को समय–समय पर सफाई व्यवस्था सुचारु रुप से करने की हिदायत दिये जाने के बाद भी यदि सुधार नहीं हुआ तो एक माह का नोटिस दिया जाकर ठेके को समाप्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) को होगा।
8. निविदादाता के अनुबंध के अन्तर्गत कार्य का भुगतान प्रभारी अधिकारी केयर टेकर द्वारा कार्य प्रमाणित करने पर मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडू, पौछा, वैक्यूम क्लीनर, ब्रश, ट्रोली, बास, एसिड, सोडा, साबुन का घोल, डिटर्जेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफ्थलीन बॉल्स की गोलियां आदि) की आपूर्ति निविदादाता को ही करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

10. सफाई कार्य में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लेनी होगी। फर्श दीवारों आदि की सफाई हेतु ईट–पत्थर आदि का प्रयोग वर्जित होगा।
11. निविदादाता के प्रतिदिन कार्यालय समय में न्यूनतम 8 कार्मिक संस्थान में उपलब्ध होना आवश्यक है एवं कार्यालय समय के पश्चात भी 2 कार्मिक संस्थान में उपलब्ध होना आवश्यक है।
12. निर्देशानुसार यदा कदा आवश्यकता होने पर सफाई कार्य अधिक भी करना पड़ सकता हैं।
13. निविदादाता/उसके सफाई कर्मी को कार्य के दौरान कोई शारीरिक क्षति होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें संस्थान प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
14. निर्देशानुसार समय पर सफाई कार्य नही करने/बंद करने की दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह सफाई किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से करवा सके एवं उस पर हुआ व्यय निविदादाता से वसूल किया जा सकेगा।
15. निविदादाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम विभाग के नवीनतम नियमों की पालना करनी होगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, यदि सफाई कार्मिको की मानदेय राशि श्रम विभाग की न्यूनतम दर से कम है, तो उक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
16. निविदादाता को प्रतिमाह A/c Payee Cheque द्वारा ही भुगतान किया जायेगा तथा कार्मिको के पासबुक/बैक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति अगले माह की क्लेम (Bill) के साथ लगाना आवश्यक होगा। जिसमें नियमानुसार आयकर की कटौती स्त्रोत पर ही की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी सफाई कर्मी मय वर्दी में जिस पर नेम प्लेट का बैज भी लगा होगा ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे जो कि आठ घण्टे की अवधि की होगी, वर्दी तथा वर्दी पर बैज का खर्च सेवा प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
18. परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages)
    1. निविदादाता द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) का सम्पूर्ण सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे तक पूरा करना होगा। प्रातः 09:00 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में विभाग द्वारा 500/–प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उपरोक्त जुर्माना राशि निविदाकार के मासिक बिल में से काट ली जावेगी। सफाई नही होने की स्थिति में उक्त के अतिरिक्त उस दिवस का भुगतान भी काटा जावेगा।

नोटः– (क) माह के प्रथम व तृतीय रविवार को कार्यालय में समस्त स्टील रैक्स, अलमारी, छत के पंखे, ट्यूबलाईट्स, एसी के फिल्टर्स एवं कम्प्यूटर उपकरणों सहित अन्य समस्त कार्यालय उपकरण कार्यालय भवन की दीवारों, खिड़कियों के काँच एवं जालियों, दरवाजों, फर्नीचर आदि की सफाई, कार्यालय के छत व दीवारों के जाले साफ करना, फिनीट आदि छिड़कना एवं कार्यालय भवन की छत एवं नालियों की सफाई का कार्य।
(ख) माह के द्वितीय एव चतुर्थ रविवार को कार्यालय भवन एवं हॉस्टल के समस्त कमरों में धूल मिट्टी साफ करनी होगी। तथा संस्थान के कैन्टीन की धुलाई करनी होगी। जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी साबुन का घोल, फिनाईल, एसिड एवं अन्य आवश्यक कैमिकल्स का प्रयोग करना होगा।
(ग) कार्यालय परिसर का विवरणानुसार अवलोकन कार्य दिवसों में कभी भी कार्यालय समय में किया जा सकता है।

3. निविदादाता की वांछित योग्यताएं

- निविदादाता के पास ई.एस.आई./ई.पी.एफ/जी.एस.टी. का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1958 के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स Contract labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेंस होना अनिवार्य है। वित्त (जीएण्डटी) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के सम्बंध में जारी परिपत्र संख्या–1/2018 दिनांक 30.04.2018 के बिन्दु संख्या (V) पर वर्णित "राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ निविदा के साथ प्रस्तुत की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

- निविदादाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण में सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप संबंधित सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
- गत तीन वित्तीय वर्षो का औसत न्यूनतम टर्नऑवर रू 40 लाख होना अनिवार्य है एवं टर्नऑवर इसी व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। निविदादाता को गत तीन वर्षो की बैलेंस शीट एवं लाभ–हानि खाता/आय–व्यय खाता निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

4. निविदादाता स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिको के द्वारा संस्थान की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति निविदादाता से की जावेगी।

5. यदि निविदादाता के कार्य से सम्बंधित, संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर निविदादाता के बिल भुगतान में से शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी। अंतिम निर्णय निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का होगा।

6. निविदादाता द्वारा अवयस्क लोगो को जॉब कार्य पर नही लगाया जावेगा।
7. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक/ईमेल द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थिति रहेगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

8. निविदादाता के किसी सफाई कर्मी द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों मे लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस सफाई कर्मी को हटाने के निर्देश निविदादाता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस सफाई कर्मी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा एवं उसके स्थान पर तुरंत दूसरा सफाई कर्मी संस्थान में उपलब्ध कराना होगा।

9. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कार्मिको के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिय गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निधारिंत प्रपत्र में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

10. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाओं आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। निविदादाता द्वारा नियमों की पालना नही करने की स्थिति में निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर सफाई कर्मी न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निदेशक रा.स्वा.प.क.सं. को भी पक्षकार बनाता है तो उससे संबंधित समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

12. निविदादाता द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं किये गये भुगतान के कम में एक प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा कि सभी श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी एंव ई.पी.एफ, ई.एस.आई. का भुगतान नियमानुसार किया गया है तथा कम मजदुरी भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त करने का निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को पूर्ण अधिकार होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

13. यदि निविदादाता एवं उसके सफाई कर्मी के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का कोई दायित्व नही होगा। नियोजित सफाई कर्मी को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रवधानो के अनुसार श्रम नियोजित सफाई कर्मी को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व भी निविदादाता का ही होगा।

14. निविदादाता द्वारा नियोजित सफाई कर्मी की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व दायत्वि क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार व निदेशक रा.स्वा.प.क.सं की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15. निविदादाता को संविदाकृत कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को संविदा/अनुबंध का सबलेट नही करेगा।

16. निविदादाता द्वारा श्रमिंको की सूची, उनके पासपोर्ट साइज फोटो एवं पहचान संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने होगे। इन कर्मचारियों के पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

17. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने या उसका कार्य संतोंषप्रद नही होने कि स्थिति मे निविदादाता को स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त (forfeit) करने का पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को होगा।

18. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का निर्णय अतिंम होगा एवं निविदादाता को मान्य होगा।

19. निविदादाता को, संस्थान में महिना पूर्ण होने पर बिल प्रस्तुत करने होगे तत्पश्चात नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त बिलों का भुगतान किया जावेगा।

20. निविदादाता द्वारा अपने सफाई कर्मी को प्रत्येक माह की 7 तारिख तक आवश्यक रूप से भुगतान करे इसके लिये पूर्णरूपेण निविदादाता ही जिम्मेदार होगा।

21. निविदादाता प्रत्येक माह कार्मिको का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगा, जिसका विवरण अगले प्रत्येक माह के प्रस्तुत बिल के साथ निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को प्रस्तुत करेगा।

22. निविदादाता द्वारा संस्थान परिसर में उपलब्ध कराये गये कार्मिको की सूची मय ESI & EPF जमा के चालान की सत्यापित प्रति प्रत्येक माह निदेशक रा.स्वा.प.क.सं के समक्ष प्रस्तुत करायेगा जिसके पश्चात् निविदादाता को अगले माह का भुगतान किया जावेगा।

23. उपयुक्त समझे जाने पर या आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

24. **करार व प्रतिभूति निक्षेपः** सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबन्ध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। अनुमानित लागत की पॉच प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) रूपये 180000/– मात्र (किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक) जमा करानी होगी। यदि सफल निविदादाता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चूकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों (आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वोधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वोधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। करार पत्र को पूण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

25. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

26. **कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) का समपहृरण (जब्त) (foreiture of performance security) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा–**

- जब संविदा की किन्ही निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- जब निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहृरण (जब्त) करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा, इस सम्बंध में निदेशक रा.स्वा. एवं प.क. सं. का निर्णय अन्तिम होगा।

27. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

28. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को उपरोक्त निर्देशों में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौतरी किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

29. सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी भाग को निरस्त करने/हटाने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क. स का होगा।

मैनें /हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्ते को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र</u> **संलग्नक "D"**

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

क्रम सं.	संस्था का नाम व पता जहाँ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

तकनीकी निविदा प्रपत्र

संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर विधिवत नोटरी)

वार्षिक टर्नओवर विवरण*

मैसर्स .... पता..
. ... के गत तीन वित्तीय वर्षो का **सकल वार्षिक टर्नओवर** नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नआवर (लाख में) रुपयें
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें .... लाख में

नोटः–

*विगत तीन वित्तीय वर्षो का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर 40.00 लाख प्रतिवर्ष (चालीस लाख रू) होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट (Profit & Loss Account & Balance sheet) संलग्न करनी होगी।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील/चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
नामः ....

पताः ....
....

मोबाइल नम्बरः ....

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "F"

स्वः घोषणा प्रमाण पत्र

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंम्पनी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं की गई है तथा इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी/हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी/हमारी संस्था ही जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

दिनांक

स्थान

तकनीकी निविदा प्रपत्र संलग्नक "G"

स्वामित्व प्रमाण पत्र

(10 रू के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी)

मैं/हम.. मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मेसर्स ....एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय स्थित ....(पूरा पता) जो कि सही होने की घोषणा करते हैं:–

1. कि मैं मेसर्स ....का एक मात्र मालिक हूँ

अथवा

कि हमारी मैसर्स ....साझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारों के पूरा नाम निम्न है/

(अ) ....

(ब)..

(स)..

(द)...

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानों के अन्तगर्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।*

*स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन और एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशकों में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न किया जाना चाहिए

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मेसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची (Black Listed) में अथवा कार्य में अयोग्य नही पाई गई है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है ।
3. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्स ....आज दिनांक में प्रस्तुत निविदा तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नही किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा की जाती है ।
4. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते है तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वंचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी की गई निविदाओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे, जिस हेतु मै/हम किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नही होगे।
5. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ कसम खाता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु..पर..दिये गये अनुच्छेद 1 से 5 शपथ पत्र में सही ओर ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नही हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामि के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

वित्तीय बिड (BOQ)

<u>सफाई कार्य हेतु दर संविदा</u>

Format of BoQ to be filled electronically as financial bid and uploaded on e-proc

क्रं.सं.	आईटम	दर प्रति माह मय आवश्यक सामग्री	जीएसटी	कुल
1	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण संस्थान परिसर का सफाई कार्य मय आवश्यक सामग्री			

The rate should be filled in financial bid (BOQ) in figure & words in each column separately through http://www.eproc.rajasthan. gov.in

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प